

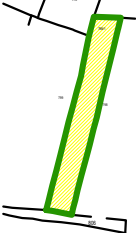
PROPOSED LAYOUT PLAN OF
" SHREE KRISHNA AVENUE "

AT VILLAGE :- RATLYA , TEH.- SANGANER, JAIPUR.



J.D.A.

KHASRA MAP :-



LOCATION PLAN :-



NORTH :-



मानदर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग
आवासीय मुखण्डों की निर्माण स्थिति :-
1. कुल आवासीय मुखण्ड = 19
2. कुल मुखण्ड = INFORMAL COMM-01
3. वाणिज्य क्षेत्र मुखण्ड

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	2027.60	40.55 %
2.	INFORMAL	99.58	01.99 %
4.	SWM	50.12	01.00 %
5.	MT	10.00	00.20 %
6.	PU	10.00	00.20 %
7.	PARK	250.25	05.00 %
8.	HT LINE	154.84	03.10 %
9.	ZDP RD 18 M	1584.54	31.69 %
10.	ROAD	813.07	16.27 %
SCHEME AREA		5000.00	100.00 %

SCHEME NAME :-
" SHREE KRISHNA AVENUE "

ZONE NO. :- 14

SCALE :- 1:500

CONSULTANT :-



डिवाजीत भारोथिया
DIVYAJEET MAROTHIYA
B.TECH (CIVIL)

DRAWING TITLE - EXTERNAL SAUCER DRAIN &
RAIN WATER CHAMBER PIPE ROUTE
WITH HARVESTING PIT PLAN



RAIN WATER
CHAMBER 450X450
MM

SAUCER DRAIN

RAIN WATER
PIPE SLOP 1:200

प्रकल्पित

कम-14इ

उपकल्पित

कम-14इ

उपकल्पित

कम-14इ

कल्पित

कम-14इ

उपकल्पित

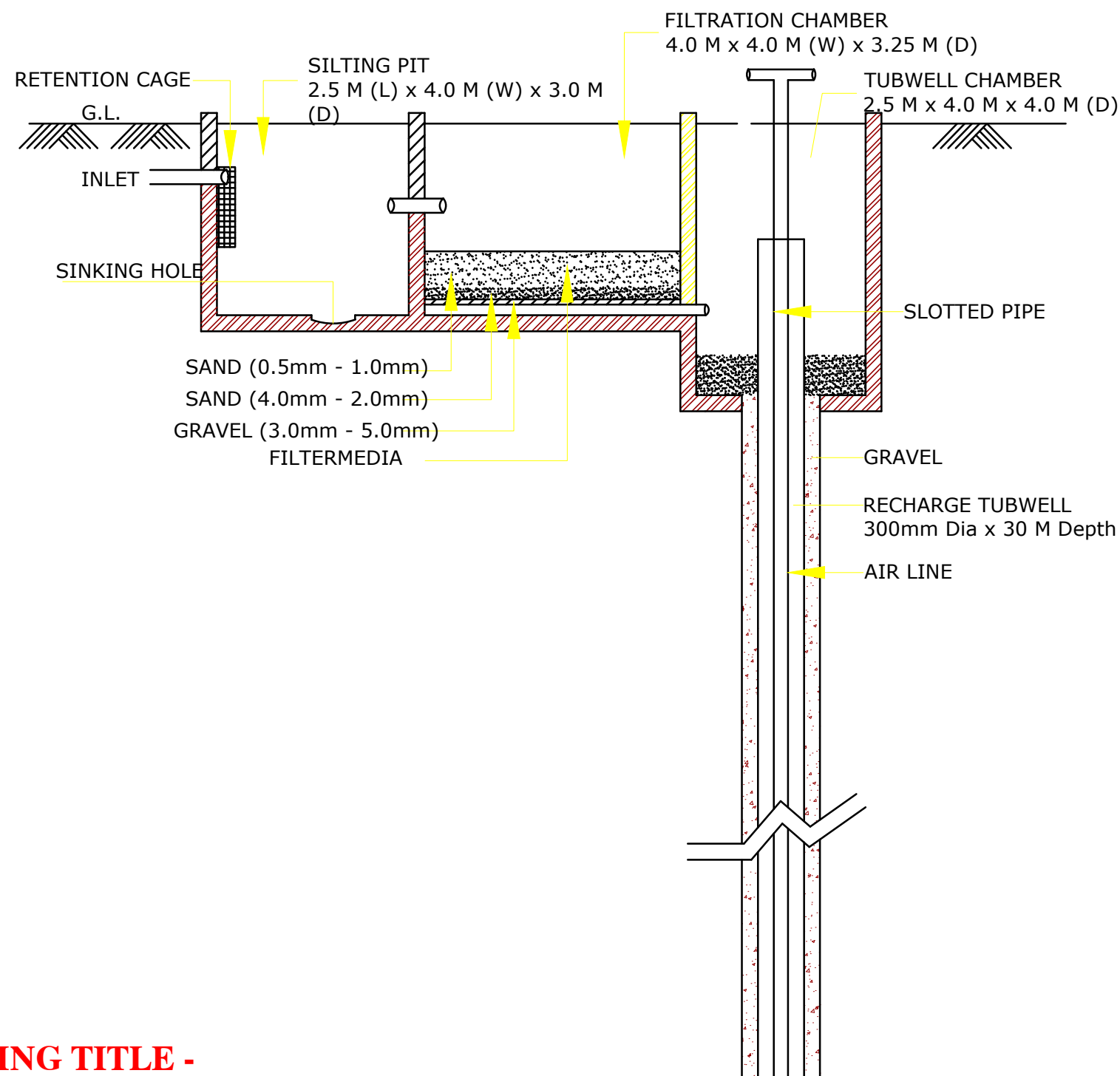
कम-14इ

उपकल्पित

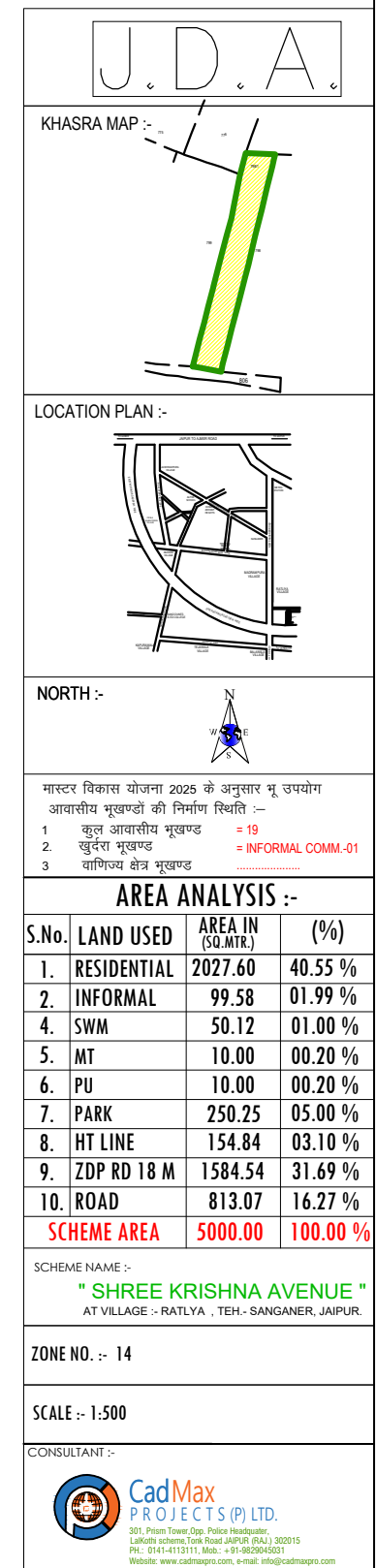
कम-14इ

नोट :-

- राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या तह सांगानेर के खसरा नम्बर 798/1 रकबा 0.50 हैक्ट. भूमि की 90ए आदेश संख्या स2012अक्षक/2023 244103015 दिनांक 17.05.2024 के द्वारा पूर्ण की गयी है।
- योजना की भूमि मे राभूरा अधिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एब मौके पर प्रमाणिकरण पटवारी एब तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मानदर प्लान शाखा अनुसार मानदर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मानदर विकास योजना 2025 व जोनल खलपमेन्ट प्लान प्लानिंग जोन-09 के अनुसार आवासीय दर्शित है। अशेदित भूमि जोनल प्लान की प्रस्तावित 18 मीटर सड़क से प्रभावित है।
- योजना श्री कृष्णा एवेन्यू का अनुमोदन बीपीसी(एलपी) की 381वी बैठक दिनांक 15.01.2025 में किया गया है।
- योजना मे कुटकर व्यावसायिक के प्राक्खान नविषे के आदेश दिनांक 20.02.2023 एब बी पी सी (एल पी) द्वारा जारी यूओनोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार देय होगे।
- योजना मे ई डब्ल्यूएस/एलआईजी के समतुल्य राशि ली गयी है।
- योजना मानचित्र टॉलनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- प्रस्तावित योजना के मूखण्डों पर पैरामीटर जलिया विनियम 2020 के अनुसार देय होगे।
- राजस्थान टॉलनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार विकय योग्य क्षेत्रफल का न्यूनतम 12.50 प्रतिशत रखा जाना आवश्यक है। योजना मे आन्तरिक विकास कार्यो की एक्ज मे 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल 265.90 वर्ग मी के लिए भूसं 15,16,17 कुल भूखण्ड 3 कुल क्षेत्रफल 269.57 वर्गमीटर रक्षन रखा गया है।
- राजस्व शाखा द्वारा मानचित्र पर खसरा सुपरइम्पोज किया गया।



AT VILLAGE :- RATLYA , TEH.- SANGANER, JAIPUR.



**DRAWING TITLE -
RAIN WATER HARVESTING PIT DETAIL**